न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —06/2018 अपील आर्म्स (RCMS/2018/00150)
पंजीयन दिनांक —03.10.2018
निर्णय दिनांक —14.01.2019

1. श्री शैलेन्द्रसिंह पिता श्री महेन्द्रसिंह राजपुत, निवासी राजकीय अस्पताल के सामने वार्ड नम्बर—07, किशोर नगर, राजसमन्द।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. अपीलार्थी स्वयं
2. श्री योगेन्द्र दशोरा —राजकीय अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द आदेश क्रमांक एफ/21/11(01)श.ला./न्याय/2018/6467 दिनांक 26.07.2018

निर्णय

दिनांक 14.01.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द आदेश क्रमांक एफ/21/11(01)श.ला./न्याय/2018/6467 दिनांक 26.07.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री शैलेन्द्रसिंह द्वारा उसके पिता जी श्री महेन्द्रसिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से उसके पिता को जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी से जारी शस्त्र लाईसेंस नम्बर 1352/न्याय/02 में दर्ज 32 बोर रिवाल्वर नम्बर 2863 को अपने नाम स्थानान्तरण हेतु आयुध अधिनियम हेतु आवेदन पेश किया। अपीलार्थी ने आवेदन के लिए आवश्यक सभी नियमों का पालन करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ/21/11(01)श.ला./न्याय/2018/6467 दिनांक 26.07.2018 से लाईसेंसी आर्म्स रूल्स्, 2016 के रूल्स् 25(ख) अनुसार निर्धारित मापदण्ड 70 वर्ष से ऊपर की आयु/25 वर्ष तक शस्त्र धारण करना, दोनों की मापदण्ड पूर्ण नहीं होने से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की पत्रावली मय टिप्पणी मंगवाई गयी। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सुचित किया गया। अपीलार्थी स्वयं एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलार्थी के पिता श्री महेन्द्रसिंह के नाम उक्त लाईसेंस जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी द्वारा जारी किया गया। अपीलार्थी के पिता विगत काफी समय से लकवे की बीमारी से ग्रसित हो चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे। अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सक होकर राजसमन्द में क्लिनिक चला रहा है और 10 वर्षो से राजसमन्द में निवासरत है। अपने पिता के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपने नाम ट्रांसफर करवाने हेतु जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द व बूंदी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा) जोन, उदयपुर, उप वन सरक्षक, राजसमन्द एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा सभी जांच अधिकारीगण द्वारा अनुकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही अपीलार्थी के पिता के शारीरिक अक्षमता बाबत समस्त चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराये गये थे। इसी दरमियान दिनांक 07.07.2018 को अपीलार्थी के पिता महेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई और मृत्यु उपरान्त के सामाजिक कार्यक्रम में व्यस्त होने से इसकी सूचना जिला कलक्टर, राजसमन्द कार्यालय को तुरन्त नहीं दे पाया। इसी दरमियान जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2018 को अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थी के अपने पिता के शस्त्र लाईसेंस को अपने नाम ट्रांसफर कराने के सम्बन्ध में उसके पिता एवं भाईयों से अनापत्ति पत्र जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के पास शस्त्र चलाने एवं शस्त्र की देखभाल करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र भी जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थी उक्त शस्त्र लाईसेंस अपने नाम ट्रांसफर कराने का अधिकारी है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

का आदेश निरस्त कर प्रार्थी के नाम पर उसके पिता का शस्त्र लाईसेंस जारी करने के आदेश प्रदान कराने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, बूंदी की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.04.2018 एवं आर्म्स रूल्स्, 2016 के रूल 25 के तहत विधि मान्य नहीं होने से अपीलार्थी का आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा खारिज किया गया, जो निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द एवं बूंदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा) जोन, उदयपुर, उप वन सरंक्षक, राजसमन्द एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें सभी जांच अधिकारिगण द्वारा आवेदक के नाम उत्तराधिकार नीति के तहत/विरासत से अपने पिता के नाम जारी शस्त्र लाईसेंस स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया है। अपीलार्थी के पिता एवं उसके भाईयों द्वारा शस्त्र लाईसेंस अपीलार्थी के नाम स्थानान्तरित करने हेतु सहमति स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये जो जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा शस्त्र चलाने एवं शस्त्र की देखभाल करने का प्रषिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है। दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा उसके पिता श्री महेन्द्रसिंह के स्वर्गवास दिनांक 07.07.2018 के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसका जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष पेश करने में असमर्थता जताई गई क्योंकि अपीलार्थी उसके पिता की मृत्यु उपरान्त के सामाजिक कार्यो में व्यस्त था और जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आदेश उनकी मृत्यु के 19 दिवस उपरान्त यानि दिनांक 26.07.2018 को पारित किया गया। आदेश दिनांक 26.07.2018 पारित करने से पूर्व जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट, परिवारजन के सहमति पत्रों एवं अनापत्ति जारी करने पर पूर्णतया विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है, जिससे प्रकरण में नये सिरे से पुनः जांच कर अथवा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश दिनांक 26.07.2018 निरस्त किया जाता है।

प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर, विभिन्न रिपोर्ट, गृह विभाग के निर्देशों का अवलोकन कर, इनकी पात्रता अनुसार स्वीकृत कर नियमानुसार अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official